भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं0 2037

22 सितम्बर, 2020 को उत्तर के लिए

शहरी अवसंरचना विकास योजना

2037. श्री डी. एन. वी. सेंथिलकुमार एस.
डॉ. अमोल रामसिंह कोल्हेः
श्री बी. मणिक्कम टैगोरः
श्री कुलदीप राय शर्माः
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुलेः
डॉ. सुभाष रामराव भामरेः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान लघु और मध्यम शहरों हेतु शहरी अवसंरचना विकास योजना हेतु महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्यों को कोई निधि आबंटित की गई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितनी निधि आबंटित/जारी और उपयोग की गई तथा संबंधित क्षेत्रों में उक्त निधि से कराए गए कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या शहरी अवसंरचना विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों को निधि जारी करने में कोई विलंब हुआ है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राज्यों को आबंटित निधि के उपयोग की निगरानी के लिए कोई तंत्र विद्यमान है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने की संभावना है; और

(ङ) शहरी स्थानीय निकायों को और अधिक कुशल बनाने और निधि की मांग करने और उसके उपयोग के लिए उन्हें सशक्त बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)

(क) से (घ) जी, नहीं। जवाहरलाल नेहरु शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के घटक छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी अवसंरचना विकास योजना (यूआईडीएसएसएमटी) दिनांक 31 मार्च, 2014 को समाप्त हो गई। तथापि, यूआईडीएसएसएमटी की वे सभी परियोजनाएँ, जिनमें 50% या उससे अधिक की केन्द्रीय सहायता जारी हो चुकी है और 31 मार्च 2014 की स्थिति के अनुसार जिनकी वास्तविक प्रगति 50% या उससे अधिक थी, या जिन्हें मिशन अवधि के दौरान मंजूरी दे दी गई थी, को 31 मार्च, 2017 तक अमृत के तहत वित्तपोषण के लिए अनुमोदित किया गया था। यह अवधि भी समाप्त हो गई है और इस स्कीम की समाप्ति पर सभी परियोजनाओं को संबंधित राज्यों को सौंप दिया गया है।

(ङ): उपरोक्त (क) से (घ) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता ।

***